

क्रमांक प-2(77-89)जविप्रा/2003/ 3680

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 89वीं बैठक दिनांक 11.07.2003 का कार्यवाही विवरण।
बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर है।

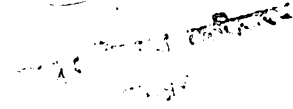
क्र.स.	ए.स.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	कब तक	अनुपालना	वि.विवरण
1.	89.1 पृ.1से 5	ए. कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक दिनांक 20.05.2003 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि। बी. कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक दिनांक 20.05.2003 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक दिनांक 20.5.2003 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक दिनांक 20.5.2003 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा क्रियान्वयन रिपोर्ट पर संतोष प्रकट करते हुए यह निर्देश प्रदान किए गए कि निर्णय बिन्दु संख्या 88.6 तथा 88.7, जिनका क्रियान्वयन लम्बित है, पर शीघ्र कार्यवाही कर ली जावे तथा आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।	अति.आयुक्त प्रशासन अति.आयुक्त पूर्व			
2.	89.2 पृ.6से 7	टी.बी. सेनेटोरियम के निकट सुभाष नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-40, क्षेत्रफल 472.78 व.मी. का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात टी.बी. सेनेटोरियम के निकट सुभाष नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-40, क्षेत्रफल 472.78 व.मी. का भू-उपयोग उपान्तरण एजेण्डा नोट में दिए गए भवन विनियम, 2000 के अनुसार पैरामीटर्स को लागू करते हुए आवासीय से व्यवसायिक किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना			
3.	89.3 पृ. 8	ग्राम मानपुर सड़वा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 90 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल क्षेत्र से संस्थानिक (शिक्षण संस्था) किये जाने हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात ग्राम मानपुर सड़वा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 90 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से संस्थागत (शिक्षण संस्था) किए जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना			
4.	89.4 पृ. 9 से 10	कार्यकारी समिति की बैठक संख्या 87/03 दिनांक 24.03.2003 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 87.3, 87.5, 87.6 एवं 87.16 में पारित निर्णयानुसार कार्यवाही नहीं की जाकर आयुक्त महोदय, जविप्रा से अनुमोदन प्राप्त कर 10वीं मोनेटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 87.3, 87.5, 87.6 एवं 87.16 में शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पादित 10वीं मोनेटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 18.02.03 में लिए गए निर्णयानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों में देरी न हो यह देखते हुए प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही की कार्यान्तर स्वीकृति (Ex Post	निदेशक आयोजना			

क्र.स.	ए.स.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	कब तक	अनुपालना	वि.विवरण
		18.02.03 में लिए गए निर्णयानुसार की गई पूर्व कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने बाबत।	Facto Sanction) प्रदान की गई।				
5.	89.5 पृ. 11 से 17	राजस्व ग्राम बीड़ खातीपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 245 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से कुल 1,074.60 वर्गगज आवेदित भूमि में से अजमेर सड़क एवं क्वीन्स सड़क के मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु कुल 602.60 वर्गगज भूमि काटने के पश्चात शेष 472 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि आवेदित भूमि अजमेर रोड तथा क्वीन्स रोड के जंक्शन पर स्थित है अतः यातायात की दृष्टि से उक्त मामले के परीक्षण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जावे जिसमें निदेशक अभियान्त्रिकी, जयपुर विकास प्राधिकरण, निदेशक आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, पुलिस अधीक्षक यातायात, जयपुर तथा अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम सदस्य होंगे। उक्त समिति प्रकरण के परीक्षण के पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसे आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु रखा जावेगा।	निदेशक आयोजना			
6.	89.6 पृ. 18 से 19	राजस्व ग्राम ब्रजलालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 171/88/1/2 क्षेत्रफल 3,018.88 व.ग. भूमि जो कि श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री नेफसिंह व नेफसिंह पुत्र श्री जगराम सिंह की खातेदारी की है, एवं गोपालपुरा बाईपास मुख्य सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है, का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम ब्रजलालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 171/88/1/2 क्षेत्रफल 3,018.88 व.ग. भूमि का भू-उपयोग, भू-उपयोग उपांतरण भवन विनियम, 2000 के अनुसार व्यवसायिक पैरामीटर्स लागू करते हुए, आवासीय से वाणिज्यिक किए जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना			
7.	89.7 पृ. 20 से 21	राजस्व ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 44/302 क्षेत्रफल 906 वर्गगज में से सीकर रोड के मार्गाधिकार क्षेत्र आवेदित भूमि के पूर्व एवं पश्चिम की सड़कों की चौड़ाई 30 फीट किये जाने हेतु एवं आवेदित भूखण्ड के कोने की गोलाई हेतु भूमि काटने के पश्चात शेष	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 44/302 क्षेत्रफल 906 व.ग. में से सीकर रोड के मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु तथा आवेदित भूमि के पूर्व एवं पश्चिम की सड़कों की चौड़ाई 30 फीट किए जाने हेतु एवं आवेदित भूखण्ड के कोने की गोलाई हेतु भूमि काटने के पश्चात शेष 871.10 व.ग. भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन गवर्नमेंट रिजर्व ऐरिया से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) किए जाने	निदेशक आयोजना			

क्र.स.	ए.स.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	कब तक	अनुपालना	वि.विवरण
		871.10 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग गवर्नमेंट रिजर्व ऐरिया से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) हेतु किये जाने बाबत।	की स्वीकृति प्रदान की गई।				
8.	89.8 पृ 22 से 23	आवेदिका डॉ. श्रीमती मिथलेश जैन पति श्री नवल किशोर अग्रवाल के इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूर्यनगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 2 व 3 कुल क्षेत्रफल 640.72 वर्गगज, जो कि मुख्य टोंक रोड पर स्थित है, का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी (ओचार्ड) से वाणिज्यिक किये जाने हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात डॉ. श्रीमती मिथलेश जैन पति श्री नवल किशोर अग्रवाल के इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूर्य नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 2 व 3 का, जिनका कि कुल क्षेत्रफल 640.72 व.ग. है, में भवन विनियम, 2000 के अनुसार व्यवसायिक पैरामीटर्स लागू करते हुए भू-उपयोग उपांतरण नर्सरी (ऑर्चार्ड) से वाणिज्यिक किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना			
9.	89.9 पृ. 24 से 25	आवेदक डॉ. नवल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री रघुनाथ अग्रवाल के इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूर्यनगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1 व 4 कुल क्षेत्रफल 699.78 वर्गगज, जो कि मुख्य टोंक रोड पर स्थित है, का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी(ओचार्ड) से वाणिज्यिक किये जाने हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात आवेदक डॉ. नवल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री रघुनाथ अग्रवाल के इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सूर्य नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1 व 4 का, जिनका कि कुल क्षेत्रफल 699.78 व.ग. है, में भवन विनियम, 2000 के अनुसार व्यवसायिक पैरामीटर्स लागू करते हुए, भू-उपयोग उपांतरण नर्सरी (ऑर्चार्ड) से व्यवसायिक किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना			
10.	89.10 पृ. 26 से 28	ग्राम जामडोली तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 477/1/2/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अपोलो एनीमल मेडिकल ग्रुप ए.एन.सी. द्वारा वैटेनरी कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु आवेदित भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल जोन से संस्थागत (वैटेनरी कॉलेज) किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात ग्राम जामडोली तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 477/1/2/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर अपोलो एनीमल मेडिकल ग्रुप ए.एन.सी. द्वारा वैटेनरी कॉलेज स्थापित किए जाने हेतु आवेदित भूमि का भू-उपयोग उपांतरण इकोलोजिकल से संस्थागत (वैटेनरी कॉलेज) किए जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की स्वीकृति इस संशोधन के साथ प्रदान की गई कि मुख्य आगरा रोड से आवेदित भूमि तक की सड़क की चौड़ाई 80 फीट रहेगी तथा आवेदित भूमि के तीनों ओर सड़क की चौड़ाई 60 फीट रहेगी।	निदेशक आयोजना			
अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-							
11.	89.11	श्री विमल कुमार शर्मा, सहायक को	विचार-विमर्श पश्चात श्री विमल कुमार शर्मा को उनके				

क्र.स.	ए.स.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	कब तक	अनुपालना	वि.विवरण
		चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति से सम्बन्धित प्रसारित समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27.06.2003 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	पुत्र श्री लक्ष्मीकांत शर्मा के गिरधर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, मालवीय नगर, जयपुर में उपचार करवाये जाने हेतु प्राधिकरण की जारी आज्ञा क्रमांक प.8(23) जविप्रा /संस्था / 83 दिनांक 27.6.2003 द्वारा दी गई चिकित्सा अग्रिम राशि रूपये 30,000/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन			
12.	89.12	निविदा संख्या 68/2002-03 द्वारा आमंत्रित आंतरिक सीवर लाईन के कार्य क्रम संख्या 8(1) सक 8(5) पर निर्णय हेतु।	समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा जारी Standing Order No.1/2003 क्रमांक F.8(21) JDA/TA to Dir. Engg./2003-694 Dated 9.4.03 के क्लॉज संख्या 14 में जो All Party Negotiations का प्रावधान रखा गया है, उसे तुरन्त प्रभाव से विलोपित (विडू) किया जाता है। समिति द्वारा राजस्थान सरकार के गृह (सतर्कता) विभाग के आदेश क्रमांक प.60(1)सीवीसी/2003 दिनांक 21 जून, 2003 के आदेश का अवलोकन किया गया जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। उक्त आदेश में यह प्रावधान है कि न्यूनतम निविदा अर्थात् न्यूनतम निविदाकार के साथ वार्ता के मामले के सिवाय निविदा पश्चात सभी निविदा दाताओं से वार्ताओं पर तुरन्त पाबन्दी लगाई जाती है। दरें अधिक प्रतीत होने पर न्यूनतम निविदादाता को काउन्टर ऑफर देने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा PWF&AR के अनुसार कर ली जावे। उपरोक्त परिपेक्ष में विचार-विमर्श पश्चात समिति ने Pre-assessed rates की वास्तविकता का परीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जो निम्नानुसार होगी :- 1. श्री एन.एस. शेखावत, - आरयूआईडीपी प्रबन्ध निदेशक, आरयूआईडीपी के प्रतिनिधि। 2. अधीक्षण अभियन्ता बीसलपुर प्रोजेक्ट, सिंचाई विभाग - मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि। 3. निदेशक वित्त, जयपुर विकास प्राधिकरण। 4. निदेशक प्रोजेक्ट, जयपुर विकास प्राधिकरण। उपरोक्त समिति निर्णयानुसार परीक्षण कर अपनी	निदेशक अभियान्त्रिकी निदेशक प्रोजेक्ट			

क्र.स.	ए.स.	विषय	सुझाव / निर्णय	संबंधित अधिकारी	कब तक	अनुपालना	वि.विवरण
			रिपोर्ट आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी				
13.	89.13	उपनिदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) का पदनाम परिवर्तित करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात उपनिदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) के पद को चयनित वेतन श्रृंखला में क्रमोन्नयन कर पदनाम अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त प्रशासन			

12/5

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 89वीं बैठक दिनांक 11.07.2003 को सायं 4.00 बजे समिति कक्ष में जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार थी:-

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डा. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री बी.एल. आर्य	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जयपुर नगर निगम, जयपुर।	सदस्य
3.	श्री जे.पी. मदान	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री डी.आर. मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती शशि मधोक	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री पी.सी.बरडिया	निदेशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
8.	श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री आर.पी. भटनागर	अधीक्षण अभियन्ता	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एम.एस. काला	सलाहकार (इन्फ्रा.)	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री ए.के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12.	श्री रामबाबू गुप्ता	निदेशक प्रोजेक्ट्स	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
13.	श्री ओ.पी.यादव	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
14.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
15.	श्री एस.सी. सोनी	अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
16.	श्री एस.के. पंचोली	अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	


11.7.03
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

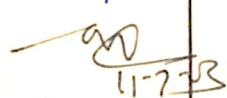
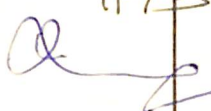
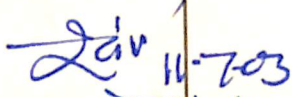
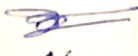
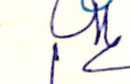
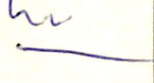
क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
4.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
5.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6.	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
8.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
9.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12.	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
13.	निदेशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15.	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16.	निदेशक प्रोजेक्ट्स	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17.	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	अति.मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	उपायुक्त, जोन-----	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	जन सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	अधिशाली अधिकारी प्रोटोकाल	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 89वीं बैठक दिनांक 11.7.2003 को साय 4.00 बजे डा0 दिनेश कुमार गोयल जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारियों ने भाग लिया:-

क्र.सं.	नामसदस्य/अधिकारी	पदनाम व विभाग	हस्ताक्षर
1.	B. H. Arora	CEO JMC	
2.	M. S. Kela	Advisor (Infra)	
3.	J. P. MADAN	CE, PWD	
4.	R. P. Bhatnagar	S.E. Bt. Bd Jaipur.	
5.	D. R. Meena	Addl. Secy J.D.A.	
6.	Shashi Machha	Dir. (Fin.)	
7.	P. C. Barediya	Dir. (Engg.)	
8.	उ. श्री. महाराज	निदेशक (न.अ.)	
9.	B. K. Sharma	JDA	
10.	A. K. SHARMA	Secy (Genl)	
11.	Ram Babu Gupta	SE (JVVNL) Jce	
12.	O. P. YADAV	Director (P)	
13.	Shuchi Sharma	Addl Com	
14.	S. K. Panthip	Addl. Com.	
15.	S. C. SONI	Add CE I JDA	
16.			
17.			
18.			
19.			